परिपत्र सं. 260/06/2026- जीएसटी

फ़ा.संख्या सीबीआईसी-20001/2/2026-जीएसटी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
जीएसटी पॉलिसी विंग

कमरा संख्या160-39**,** कर्तव्य भवन
नई दिल्ली, दिनांक 26.10.2026

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्तमुख्य आयुक्त /, केंद्रीय कर

सभी प्रधान महानिदेशक महानिदेशक । /

महोदया/महोदय,

इनपुट सेवा वितरक :विषय से संबंधित मुद्दों पर स्पष्टीकरण - के संबंध में।

व्यापार और उद्योग जगत से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे सीजीएसटी अधिनियम", 2017" कहा जाएगा की धारा (2(61) और धारा 20, और साथ ही केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे आगे सीजीएसटी नियम ", 2017" कहा जाएगा के नियम (39 और नियम 54(1क) के प्रावधानों से जुड़े कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ये प्रावधान इनपुट सेवा वितरक आईएसडी" जिसे आगे)" कहा जाएगासे संबंध (ित हैं।

2. उपरोक्त मामले की जाँच की गई है। क्षेत्रीय संरचनाओं में कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, बोर्ड, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 168(1) के अंतर्गत प्रदत्त

अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उठाए गए मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रदान करता है।

तालिका

क्रं. सं.	**मुद्दें**	**स्पष्टीकरण**
1.	क्या एक ही राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के भीतर प्रत्येक व्यावसायिक कार्यक्षेत्र/व्यवसाय के स्थान के लिए आईएसडी पंजीकरण आवश्यक है?	a) सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2(61) के तहत आईएसडी को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता का कार्यालय, जो सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 25 में निर्दिष्ट अलग-अलग व्यक्तियों के लिए या उनकी ओर से रिवर्स चार्ज के तहत कर के लिए उत्तरदायी सेवाओं के संबंध में इनपुट सेवा इनवॉइस प्राप्त करता है, और ऐसे इनवॉइस के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 20 में बताए गए पद्धति से वितरित करने के लिए उत्तरदायी है। b) सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 25 (2) और धारा 25 (4) के प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के भीतर अलग-अलग व्यावसायिक क्षेत्रों या व्यावसायिक स्थानों के लिए क्रमशः 01.02.2019 से पहले या बाद में अलग-अलग पंजीकरण प्राप्त किए गए हैं, तो ऐसे प्रत्येक पंजीकरणकर्ता को अधिनियम के तहत एक विशिष्ट व्यक्ति माना जाएगा।

		c) उपरोक्त प्रावधानों को सीधे तौर पर पढ़ने से पता चलता है कि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर, प्रत्येक व्यावसायिक क्षेत्रों या व्यावसायिक स्थानों के लिए एक से ज़्यादा आईएसडी पंजीकरण लेने पर कोई रोक नहीं है। d) तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि: i. ऐसा कोई भी पंजीकरणकर्ता जिसे विशिष्ट व्यक्तियों के लिए या उनकी ओर से इनपुट सेवा के इनवॉइस मिलते हैं, और जिन्हें सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 20 में बताए गए पद्धति से वितरित किया जाना है, उसे आईएसडी पंजीकरण लेना ज़रूरी है। ii. हालांकि, यह ध्यान रखना चाहिए कि सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 39 (1) के प्रावधानों के अनुसार, आईएसडी केवल उसी विशिष्ट व्यक्ति को क्रेडिट वितरित करेगा, जिसे क्रेडिट दिया जाना है।
2.	आईएसडी द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के वितरण के मामले में, क्या सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की शर्तों का पालन करने के लिए आईएसडी उत्तरदायी है या क्रेडिट प्राप्त कर्ता?	a) सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2(61) के तहत आईएसडी की परिभाषा के अनुसार, आईएसडी माल या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता का एक कार्यालय होता है। यह कार्यालय सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 25 में बताए गए विशिष्ट व्यक्तियों के लिए या उनकी तरफ से इनपुट सेवा इनवॉइस प्राप्त करता है, जिनमें रिवर्स चार्ज के

		तहत कर लगने वाली सेवाओं के इनवॉइस भी शामिल हैं। साथ ही, यह कार्यालय ऐसे इनवॉइस के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 20 में बताए गए पद्धति से वितरित करने के लिए उत्तरदायी होता है। b) सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार, अगर कोई आईएसडी धारा 20 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए क्रेडिट वितरित कर्ता है, जिससे एक या ज़्यादा क्रेडिट प्राप्तकर्ताओं को अत्यधिक क्रेडिट मिल जाता है, तो इस तरह वितरित किए गए अतिरिक्त क्रेडिट को क्रेडिट प्राप्तकर्ताओं से ब्याज सहित वसूल किया जाएगा। साथ ही, वसूली जाने वाली राशि सुनिश्चित करने के लिए धारा 73 या धारा 74 या धारा 74क,जैसा भी मामला हो, के प्रावधान लागू होंगे। C) इसके अलावा, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 122(1) के खंड (ix) के अनुसार, यदि कोई करदाता सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 20 अथवा उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन कर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता अथवा वितरित करता है, तो वह दस हजार रुपये अथवा कर चोरी अथवा अनियमित रूप से वितरित इनपुट टैक्स क्रेडिट के बराबर राशि, जो भी अधिक हो, की शास्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

		d) तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि: i. आईएसडी को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 20 के तहत बताए गए पद्धति से , उन विशिष्ट व्यक्तियों (क्रेडिट प्राप्तकर्ताओं) को क्रेडिट वितरित करना होगा, जिनके लिए या जिनकी ओर से उसे इनपुट सेवा इनवॉइस मिलते हैं। ii. इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए योग्य होने की शर्तों को पूरा करने की ज़िम्मेदारी क्रेडिट प्राप्तकर्ता की होती है; इसमें सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 या धारा 17 और उसके तहत बने नियमों में बताई गई शर्तें भी शामिल हैं। iii. यदि आईएसडी, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 20 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए क्रेडिट वितरित करता है, तो आईएसडी पर सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 122(1) के खंड (ix) के तहत शास्ति लगाया जा सकता है। और अगर इस उल्लंघन की वजह से एक या ज़्यादा क्रेडिट प्राप्तकर्ताओं को अत्यधिक क्रेडिट वितरित किया जाता है, तो सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 21 के प्रावधानों के तहत ऐसे क्रेडिट प्राप्तकर्ताओं से वह अतिरिक्त क्रेडिट वसूल किया जा सकता है।
3.	सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 39(1)(क) के अनुसार "एक महीने में	(a) सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 20(2) और सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 39(1)(क)

	वितरण के लिए उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट को उसी महीने में वितरित किया जाना चाहिए" का क्या अर्थ है?	के अनुसार, किसी महीने में वितरण के लिए उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट को इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा उसी महीने में वितरित किया जाना आवश्यक है तथा इसके विवरण को फ़ॉर्म जीएसटीआर-6 में शामिल किया जाना आवश्यक है। b) सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 65 के अनुसार, आईएसडी को फ़ॉर्म जीएसटीआर -6क में दी गई जानकारी के आधार पर फ़ॉर्म जीएसटीआर -6 जमा करना होता है। यदि आवश्यक हो, तो इसमें जानकारी जोड़ने, संशोधित करने या हटाने के बाद, आईएसडी को फ़ॉर्म जीएसटीआर-6 जमा करना होगा। इसमें उन टैक्स इनवॉइस का विवरण शामिल होगा जिन पर क्रेडिट प्राप्त हुआ है, और साथ ही सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 20 के तहत जारी किए गए इनवॉइस का विवरण भी शामिल होगा। (c) इसके अतिरिक्त, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16(2) उस पात्रता की शर्तों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए पूरा किया जाना आवश्यक है। (d) जैसा कि उपर्युक्त क्रम संख्या 2 में स्पष्ट किया गया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने की पात्रता

		हेतु निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना क्रेडिट प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ताओं का दायित्व है। इसमें सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 या धारा 17 तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों में निर्धारित शर्तें भी शामिल हैं। (e) इसके अतिरिक्त, सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 39(1)(छ) के अनुसार, आईएसडी के लिए यह आवश्यक है कि वह इनपुट टैक्स क्रेडिट का अलग-अलग वितरण करे, अर्थात् वह क्रेडिट जो पात्र है, और वह जो सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) या अन्य किसी प्रावधान के तहत अपात्र है। (f) अतः, यद्यपि आईएसडी के लिए स्वयं इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, तथापि आईएसडी प्रक्रिया के माध्यम से क्रेडिट के वितरण के मामले में, चूँकि सेवाओं की खरीद केंद्रीय स्तर पर की जाती है, इसलिए केवल आईएसडी, जिसे इनपुट सेवाओं के इनवॉइस प्राप्त होते हैं, ही यह निर्धारित करने की सर्वोत्तम स्थिति में होता है कि ऐसे इनवॉइस के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया जा सकता है या नहीं। (g) तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि जब आईएसडी को अपने विशिष्ट व्यक्तियों की ओर से

		इनपुट सेवाओं के इनवॉइस का विवरण फ़ॉर्म जीएसटीआर -6ए में प्राप्त हो जाता है, तो उक्त इनवॉइस के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट आईएसडी को वितरण हेतु तभी उपलब्ध माना जाएगा, जब आईएसडी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि यह लाभ के लिए प्रत्यक्षतः पात्र है। अतः, सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 39(1)(क) के प्रावधानों के अनुसार, आईएसडी को उक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को ऐसे निर्धारण के महीने में वितरित करना आवश्यक है, और इसे सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 39(1)(छ) के प्रावधानों के अनुसार पात्र और अपात्र क्रेडिट के रूप में अलग से वितरित करना है और इसका विवरण फॉर्म जीएसटीआर -6 में शामिल किया जाना है।
4.	आईएसडी द्वारा वितरित किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले में, क्या आईएसडी या क्रेडिट प्राप्तकर्ता को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17(1), 17(2) या धारा 17(4) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करने की आवश्यकता होगी ?	a) जैसा कि ऊपर क्रं. सं. 2 में बताया गया है, आईएसडी को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 20 में बताए गए पद्धति से क्रेडिट वितरित करना होता है। क्रेडिट प्राप्तकर्ताओं की ही यह ज़िम्मेदारी है कि वे सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 या धारा 17 के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों का पालन करें। b) तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि आईएसडी को वितरण के लिए अपने पास उपलब्ध संपूर्ण इनपुट

		टैक्स क्रेडिट को क्रेडिट के उन प्राप्तकर्ताओं में वितरित करना चाहिए जिनके लिए यह उत्तरदायी है, और यह क्रेडिट के ऐसे प्राप्तकर्ता हैं जिन्हें सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17 (1) या धारा (2) के साथ सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 42 और नियम 43 या सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17 (4) के साथ सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 38, जैसा भी मामला हो, के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्सल करना आवश्यक है ।
5.	क्या सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 54(1क) के तहत, आईएसडी को जारी किए गए इनवॉइस, क्रेडिट या डेबिट नोट में बताई गई राशि को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2(112) के तहत "राज्य में टर्नओवर" या "केंद्र शासित प्रदेश में टर्नओवर" की गणना में शामिल किया जाना चाहिए? यह इनवॉइस/नोट ऐसे पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जारी किया गया है जिसका पैन और राज्य कोड आईएसडी जैसा ही है।	a) सीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 54(1क) यह प्रावधान करता है कि आईएसडी के समान पैन और उसी राज्य में पंजीकृत कोई नियमित पंजीकृत व्यक्ति, आईएसडी को इनवॉइस, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जारी कर सकता है। ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट स्थानान्तर करने के लिए किया जाता है जो एक या अधिक विशिष्ट व्यक्तियों से संबंधित इनपुट सेवाओं पर आधारित क्रेडिट से जुड़ा हो। इसके बाद, आईएसडी इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को उन अन्य विशिष्ट व्यक्तियों में बांट सकता है जिनसे वे सेवाएं संबंधित हैं; यह बंटवारा सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 39(1) में बताए गए पद्धति से किया जाएगा।

		b) इसके अलावा, सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 54(1क) के खंड (ख) में यह प्रावधान है कि खंड (क) के तहत जारी इनवॉइस में कर योग्य मूल्य उन सेवाओं के मूल्य के समान होगा जिनका क्रेडिट इनपुट सेवा वितरक को स्थानांतरित किया जाना है। c) ये प्रावधान मुख्य रूप से इसलिए लाए गए थे ताकि आईएसडी के समान पैन और राज्य कोड का प्रयोग करने वाले नियमित पंजीकरण के ज़रिए रिवर्स चार्ज लेनदेन पर कर का भुगतान किया जा सके जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि क्रेडिट को आईएसडी में स्थानांतरित करने से पहले ऐसे लेनदेन के संबंध में कर का भुगतान कर दिया गया है, ताकि अन्य विशिष्ट व्यक्ति को आगे वितरण किया जा सके, जो बाद में इस क्रेडिट का लाभ उठाएगा।" d) इसलिए, सीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 54(1क) केवल क्रेडिट स्थानांतरण करने की एक पद्धति है। e) उपरोक्त के आधार पर, यह स्पष्ट किया जाता है कि: i. सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 54(1क) के तहत, आईएसडी के समान राज्य में पंजीकृत और समान पैन वाले पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जारी इनवॉइस, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट उस व्यक्ति की जावक आपूर्ति से संबंधित नहीं होते हैं। इसलिए, ऐसे

		इनवॉइस, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट पर दिखाई गई राशि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2(112) के तहत उस व्यक्ति के लिए "राज्य में टर्नओवर" या "केंद्र शासित प्रदेश में टर्नओवर" के रूप में नहीं मानी जाती है, भले ही आगे वितरण के लिए आईएसडी को भेजने के उद्देश्य से इसे उसके फ़ॉर्म जीएसटीआर -1 में बताना ज़रूरी हो। ii. तदनुसार, उक्त इनवॉइस , क्रेडिट या डेबिट नोट जारी करने वाले उक्त व्यक्ति के "राज्य में टर्नओवर" या "केंद्र शासित प्रदेश के टर्नओवर" की गणना में ऐसे इनवॉइस या डेबिट नोट या क्रेडिट नोट पर दर्शाई गई राशि को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ताकि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 20 के साथ पठित सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 39 के तहत 'क्रेडिट प्राप्तकर्ता' को वितरित किए जाने वाले आवश्यक इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि निर्धारित की जा सके, तथा पंजीकृत व्यक्ति को अनुमत अधिकतम रिफंड राशि का पता लगाने के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54(3) के साथ पठित सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 89 के तहत "समायोजित कुल टर्नओवर" का निर्धारण किया जा सके।
6.	क्या सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 54(1क) के तहत, आईएसडी के समान पैन और राज्य कोड वाले पंजीकृत व्यक्ति द्वारा स्थानांतरित	जैसा कि ऊपर क्रम संख्या 5 में पहले ही चर्चा की जा चुकी है, सीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 54(1ए) केवल क्रेडिट स्थानांतरण करने का एक तरीका है। तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि

	किया गया इनपुट सेवाओं से संबंधित क्रेडिट, उसी व्यक्ति जिसका पैन और राज्य कोड आईएसडी के समान है, का इनपुट टैक्स क्रेडिट माना जाएगा? और क्या इसे सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 89(4) और नियम 89(5) के तहत रिफंड की राशि की गणना के लिए "नेट आईटीसी" के तौर पर शामिल किया जा सकता है?	नियम 54(1क) के तहत, आईएसडी के समान पैन और राज्य कोड वाले पंजीकृत व्यक्ति द्वारा स्थानांतरित किया गया इनपुट सेवा से जुड़ा क्रेडिट, उस व्यक्ति की आवक आपूर्ति के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है। इसे केवल आईएसडी को स्थानांतरित करना होता है, इसलिए यह सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 89(4) और नियम 89(5) के तहत रिफंड की रकम की गणना के लिए " नेट आईटीसी " के तौर पर नहीं माना जाएगा।
7.	क्या सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 54(1क) के तहत, आईएसडी के समान पैन और राज्य कोड वाले पंजीकृत व्यक्ति द्वारा स्थानांतरित की गई इनपुट सेवाओं से संबंधित क्रेडिट के मामले में, आईएसडी के समान पैन और राज्य कोड वाले उस व्यक्ति को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17(1), 17(2) या धारा 17(4) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्सल करना होगा?	a) जैसा कि ऊपर क्रम संख्या 5 और 6 में बताया गया है, सीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 54(1क) केवल क्रेडिट स्थानांतरण की एक पद्धति है। नियम 54(1क) के तहत, आईएसडी के समान पैन और राज्य कोड वाले पंजीकृत व्यक्ति द्वारा स्थानांतरित किया गया क्रेडिट, जो एक या अधिक विशिष्ट व्यक्तियों से जुड़ी इनपुट सेवाओं से संबंधित है, उस पंजीकृत व्यक्ति की आवक आपूर्ति के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं माना जाएगा। b)तदनुसार, नियम 54(1क) के तहत आईएसडी के समान पैन और राज्य कोड वाले पंजीकृत व्यक्ति द्वारा स्थानांतरित किए गए, एक या अधिक विशिष्ट व्यक्तियों व्यक्तियों से संबंधित इनपुट सेवाओं के क्रेडिट के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि:

		i. उक्त व्यक्ति का पैन और राज्य कोड आईएसडी के समान है, उसे सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17(1),17(2) या धारा 17(4) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करने की आवश्यकता नहीं है; और उस व्यक्ति को रिवर्स चार्ज के तहत कर के भुगतान के कारण उपलब्ध सम्पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट को आईएसडी को स्थानांतरित करना होगा, ताकि इसे क्रेडिट प्राप्तकर्ताओं को आगे वितरित किया जा सके। ii. इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने वाले ऐसे प्राप्तकर्ता को, जिन्हें सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17(1),17(2) या धारा 17(4), जैसा भी मामला हो, के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्सल करने की आवश्यकता है, जैसा कि ऊपर सीरियल नंबर 4 में पहले ही साफ़ किया जा चुका है।इसके अलावा, क्रेडिट प्राप्तकर्ताओं में वह पंजीकृत व्यक्ति भी शामिल हो सकता है, जिसका पैन और राज्य कोड आईएसडी के समान है, जिसने सबसे पहले आईएसडी को इनपुट टैक्स क्रेडिट स्थानांतरित किया था।

3. अनुरोध है कि इस परिपत्र की बातों को संबंधित लोगों तक पहुंचाने के लिए उचित व्यापार नोटिस जारी किए जाएं।

4. यदि इस परिपत्र के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई हो तो उसे बोर्ड के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय,

(गौरव सिंह)

आयुक्त (जीएसटी)